फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भवानी सिंह सोलंकी नि0 211, गढ़ मगरी, शोभागपुरा, उदयपुर (राज0) पिन –313001

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 78/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 26.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक सू0अ,05/2024/826 दिनांक 18.09.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री भवानी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जो इस कार्यालय को दिनांक 29.08.2024 को प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार राजसमन्द के अधिकार क्षैत्र में होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 606 दिनांक 15.07.24 द्वारा भिजवाया गया था। तहसीलदार राजसमन्द के पत्रांक 502–503 दिनांक 05.09.2024 द्वारा प्रार्थी श्री भवानी सिंह को चाही गई सूचना उपलब्ध कराते हुए पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दिये जाने से श्रीमान् के यहॉ प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रस्तुत प्रथम अपील इसी स्तर पर खारिज करने का श्रम करावे।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा प्रार्थी को चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द, को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद